

# कायालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —:: कायालय आदेश ::—

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 01/2021-22 दिनांक: 31-12-2021 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम-277(क) के उपनियम-(VI) के तहत आदेश क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती, 2021-22/गैर अनु./ले-1/सा.शि./2022 दिनांक: 01.05.2022 के द्वारा पूर्णतया अस्थाई (प्रोविजनल) चयन आदेश जारी किया गया था। अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पद पर पूर्णतया अस्थाई चयनित अभ्यर्थी जिनके जिला आवंटन दिनांक 02.05.2022 के द्वारा रोके गये थे, में से निम्नांकित को उनके नाम के आगे अंकित जिला आवंटित किया जात है :-

S.N.	Application_No	MERIT NO	Candidate_Name	Father_Name	Gender	DOB	Category	SEL_CAT	SEL_GEN	SEL_SPL	ALLOTTED DISTRICT
1	202218435477	9982	KAUSHAL SAINI	KAILASH SAINI	Male	10-04-2000	OBC-NCL	OBC	GEN	SP	JAIPUR
2	202218454907	9938	MANJU KANWAR	FATEH DAN	Female	10-05-1989	OBC-NCL	OBC	F	SP	JODHPUR
3	202218459384	9250	MOHAMMED AAOIB	ABDUL MAJID	Male	12-08-1995	EWS	EWS	GEN	SP	TONK
4	202218435679	9985	MONA SAINI	RAMESH KUMAR SAINI	Female	18-09-2000	OBC-NCL	OBC	F	SP	JAIPUR

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का जिला आवंटन तथा नियुक्ति/पदस्थापन सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश कुमार शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टेड याचिकाएँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी.बी. सिविल (पीआईएल) रिट याचिका संख्या 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टेड याचिका संख्या 5078/2022, 4721/2022, 5079/2022, 5076/2022, 5077/2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)  
I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं प.राज (प्रा.शिक्षा)  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती, 2021-22/गैर अनु./ले-1/सा.शि./2022 दिनांक: 15/07/2022

प्रतिक्षेप:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशेष सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशेष सहायक, माननीय शिक्षा (राज्यमंत्री) महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, आतिरेक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. उपायुक्त, शालादपण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा सकुल, जयपुर।
11. उप विधि परामर्शी, कायालय हाजि।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर/जोधपुर/टोंक को प्रेषित कर लेख है उक्त भर्ती के अन्तर्गत समय-समय पर जारी आदेशों के तहत अभ्यर्थी के नियुक्ति/पदस्थापन की नियमानुसार कार्यवाही करे।
13. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/टोंक को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेज/आवेदन संबंधित जिला परिषद् को उपलब्ध करवाये जावे।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जयपुर/जोधपुर।
15. रक्षित पत्रायली।

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर